

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

स्मरण पत्र

भोपाल, दिनांक 5/12/2022

क्र./विनियमन/2022/531

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

विषय :- ART (Regulation) Act, 2021 तथा Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तारतम्य में जिले के समस्त आवेदक निजी अस्पताल के आवेदनों के त्वरित निराकरण के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20/12/2021 को अधिसूचित The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021
 2. भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 25/12/2021 को अधिसूचित The Surrogacy (Regulation) Act, 2021
 3. म.प्र. शासन राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 26/05/22
 4. शासन का पत्र क्र./एफ 10-06/2022/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 14/06/2022
 5. सचिव स्वास्थ्य, म.प्र. शासन का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18/10/2022

विषयांतर्गत लेख है भारत का राजपत्र (असाधारण) द्वारा क्रमशः दिनांक 20/12/2021 एवं दिनांक 25/12/2021 द्वारा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 तथा The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 अधिसूचित है। उपरोक्त के तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के लिए जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी (District Appropriate Authority for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy) संबंधी अधिसूचना मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26/05/2022 को प्रकाशित की गई है।

अवगत होना चाहेंगे कि:-

1. संदर्भित पत्र स.क्र. 4 एवं 5 द्वारा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 तथा The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के संबंध में विस्तृत निर्देश देते हुए शासन स्तर पर प्राप्त आवेदनों को जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी (District Appropriate Authority for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy) के अध्यक्ष को अग्रप्रेषित किया गया है।
2. उल्लेखनीय है कि ART (Regulations) Act, 2021 की धारा 16(1) अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस के भीतर पंजीयन संबंधी आवेदन का निराकरण किया जाना है। इसी प्रकार Surrogacy (Regulations) Act, 2021 की धारा 12(1) अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति दिनांक के 90 दिवस के भीतर आवेदक अस्पताल का उचित निरीक्षण कर पंजीयन जारी किया जाना है।
3. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिलेवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी अनुलग्नक 1 में अवलोकनार्थ प्रेषित है।
4. उल्लेखित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित समय-सीमा को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही दिनांक 31/12/2022 तक अनिवार्यतः पूर्ण की जाए:-
 - i. जिले में संचालित समस्त ART Clinic Level-1, ART Clinic Level-2, ART Bank तथा Surrogacy Clinic का विधिवत मिलान राज्य स्तर से प्रेषित आवेदनों की सूची से सुनिश्चित किया जाए।
 - ii. The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 तथा The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 अंतर्गत संचालित अस्पतालों द्वारा आवेदन करने हेतु भारत सरकार द्वारा

अनुलग्नक-1

S.N.	District	Surrogacy Clinic	ART Bank	ART Clinic Level-1	ART Clinic Level-2	Sub Total	Status Of Inspection
1	BHOPAL	5	3	4	15	27	16
2	CHHINDWARA	0	0	0	2	2	0
3	DEWAS	0	1	0	2	3	2
4	DHAR	0	0	1	2	3	1
5	GWALIOR	1	1	0	5	7	0
6	HOSHANGABAD	0	1	0	1	2	1
7	INDORE	3	10	2	22	37	15
8	JABALPUR	0	1	0	4	5	0
9	KHANDWA	0	0	0	1	1	0
10	RATLAM	0	0	1	1	2	2
11	REWA	0	0	0	2	2	0
12	SIDHI	0	0	0	1	1	1
13	UJJAIN	0	1	1	2	4	0
14	VIDISHA	0	0	0	1	1	1
Total		9	18	9	61	97	39

विस्तारित समय-सीमा दिनांक 24/10/2022 नियत थी। अतएव, ऐसे समस्त अस्पताल जिनके द्वारा ART अथवा Surrogacy सेवायें प्रदायित की जा रही हों, परंतु शासन स्तर से प्रेषित आवेदनों की सूची में नाम सम्मिलित नहीं हो, को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी की जाए।

- iii. प्राप्त आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी के अध्यक्ष होने के नाते, कलेक्टर द्वारा आवेदक संस्थाओं के निरीक्षण के अधिकार चिन्हांकित विषय विशेषज्ञों की समिति को विकेंद्रित की जा सकती है, जिसमें अधीनस्थ शासकीय अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ/चिकित्सक तथा रेडियोलॉजी विशेषज्ञ/चिकित्सक को सम्मिलित किया जा सकता है।
- iv. उक्त समिति द्वारा आवेदक संस्थानों का निरीक्षण स.क्र. 4 में संदर्भित पत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पर पंजीयन संबंधी उचित अभिमत दिया जाये।
- v. तदनुसार, निरीक्षण किए गए समस्त आवेदक संस्थानों की नस्ती, जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी के सदस्य सचिव द्वारा शेष सदस्यों को आहूत करते हुए कलेक्टर/अध्यक्ष के समक्ष निर्णयार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए ताकि दिनांक 31/12/2022 के पूर्व ART (Regulations) Act, 2021 तथा Surrogacy (Regulations) Act, 2021 के तारतम्य में पंजीयन जारी किया जा सके।
- vi. पंजीयन क्र. जारी करने का प्रारूप निम्नानुसार निर्धारित है:-
MP/District Name/ ART Level-1 Clinic /No. XXX, (No. to be denoted in Figures only, in order of issuance)
MP/District Name/ ART Level-2 Clinic /No. XXX, (No. to be denoted in Figures only, in order of issuance)
MP/District Name/ ART Bank /No. XXX, (No. to be denoted in Figures only, in order of issuance)
MP/District Name/ Surrogacy Clinic /No. XXX, (No. to be denoted in Figures only, in order of issuance)
- vii. पंजीयन जारी करने का प्रारूप ART (Regulations) Act, 2021 तथा Surrogacy (Regulations) Act, 2021 में प्रावधानित है। सुलभ संदर्भ हेतु पंजीयन प्रारूप अनुलग्नक 2 एवं 3 पर अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी के सदस्य सचिव होने के नाते, उपरोक्त अनुसार कार्यवाही अविलम्ब दिनांक 31/12/2022 तक पूर्ण की जाए। तदनुसार पंजीकृत ART Clinic Level-1, ART Clinic Level-2, ART Bank तथा Surrogacy Clinic की जानकारी regulation.dhs@mp.gov.in पर प्रेषित की जाए ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य बोर्ड के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संलग्न: अनुलग्नक 1, 2 एवं 3

(डॉ. सुदाम/खडि)

आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/विनियमन/2022/532
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ।

भोपाल, दिनांक 5/11/2022

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. श्रीमती. गीता नारायण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई-दिल्ली।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।

आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

FORM 3
[See rule 8]
Certificate of Registration
ART Clinic (Level 1/Level 2)/ART Bank
(To be issued in duplicate)

Certificate No:.....

1. In exercise of the powers conferred under Section 16(1) of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021, the Appropriate Authority hereby grants registration to the ART Clinic named below for purposes of carrying out Assisted Reproductive Technology procedures as per the aforesaid Act, for a period ofending on.....

- (a) Name and address of the ART Clinic;
- (b) Type of institution (Government or Private) and
- (c) Type of facility : Level 1 or Level 2

OR

The ART Bank named below for purposes of carrying out activities and procedures as per the aforesaid Act, for a period of ending of

- (a) Name and address of the ART Bank
- (b) Type of institution (Govt./Private).

2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules there under and any contravention there of shall result in suspension or cancellation of this certificate of registration before the expiry of the said period of five years

- 3. Registration No. allotted
- 4. For renewal Certificate of Registration only :

Period of validity of earlier Certificate of Registration from to

**Signature, Name and Designation of
the Appropriate Authority**

Date:.....

Place :.....

SEAL

Display one copy of this certificate at a conspicuous place of business.
***Strike out whichever is not applicable or necessary**

FORM 4
[See rule 11]
Certificate of Registration
Surrogacy Clinic
(To be issued in duplicate)

Certificate No:.....

1 In exercise of the powers conferred under Section 12(1) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Appropriate Authority hereby grants registration to the Surrogacy Clinic named below for purposes of carrying out Surrogacy or surrogacy procedures as per the aforesaid Act, for a period ofyears ending on.....

(a) Name and address of the Surrogacy Clinic:

(b) Type of institution (Government or Private)

2 This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules there under and any contravention thereof shall result in suspension or cancellation of this certificate of registration before the expiry of the said period of three years.

3 Registration No. allotted

4 For renewed Certificate of Registration only: Period of validity of earlier Certificate of Registration from.....To.....

**Signature, Name and Designation of
the Appropriate Authority**

Date

Place

SEAL

Display one copy of this certificate at a conspicuous place of business.

***Strike out whichever is not applicable or necessary**